सं. 23011/10/2016-एमपीआर

भारत सरकार

उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 17 जून, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: तटीय नौवहन अथवा/और अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा राजसहायताप्राप्त उर्वरकों के वितरण हेतु मालभाड़ा राजसहायता की प्रतिपूर्ति की नीति।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 25.06.2010 और 14.07.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं.12018/11/2007-एफपीपी और दिनांक 13.10.2016 और 29.03.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापनों के अधिक्रमण में, अधोहस्ताक्षरी को गंतव्य जिले में रेक पॉइंट तक तटीय संचलन/अंतर्देशीय जल संचलन के पश्चात सड़क मार्ग संचलन के साथ-साथ तटीय नौवहन/अंतर्देशीय जलमार्ग से उर्वरकों के संचलन की अनुमति के लिए, जो उसे प्राथमिक संचलन के तहत मालभाड़ा राजसहायता की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र बनाता है, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की सूचना देने का निदेश हुआ है। प्राथमिक संचलन का आशय राजसहायताप्राप्त उर्वरकों का गंतव्य जिले में संयंत्र अथवा बंदरगाह से विभिन्न रेक पॉइंटों तक रेल अथवा/और तटीय नौवहन/अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन, जिसमें गंतव्य जिले में सड़क मार्ग ब्रिजिंग (केवल तटीय नौवहन अथवा अंतर्देशीय जलमार्ग के उपयोग के मामले में) अथवा परिवहन के किसी एक अथवा दो अथवा सभी तीनों माध्यमों से रेक पॉइंट तक परिवहन शामिल है, होगा। उर्वरकों के संचलन हेतु तटीय नौवहन/अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग करने वाली कंपनियों के मालभाड़ा दावों की प्रतिपूर्ति हेतु नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

i. इस स्तर पर केवल राजसहायताप्राप्त स्वदेशी उर्वरकों (यूरिया एवं पीएंडके उर्वरकों) का तटीय नौवहन/अंतर्देशीय जलमार्ग से संचलन ही मालभाड़ा राजसहायता के भुगतान हेतु पात्र होगा।

ii. चूँकि केवल स्वदेशी उर्वरकों का संचलन ही मालभाड़ा राजसहायता के भुगतान हेतु पात्र होगा, अत: सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पत्तन निकासी प्रमाण-पत्र की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

iii. उर्वरकों के एकल माध्यम अथवा बहु-माध्यम के परिवहन के मामले में, जिसमें तटीय नौवहन भी शामिल है, उर्वरकों के संचलन हेतु मालभाड़ा राजसहायता रेलवे प्रभारों अथवा व्यय हुए वास्तविक मालभाड़ा, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

iv. उर्वरकों के बहु-माध्यम परिवहन, जिसमें तटीय नौवहन/अंतर्देशीय जलमार्ग से परिवहन भी शामिल है, के मामले में मालभाड़ा राजसहायता के दावे के लिए उर्वरक कंपनियां सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित बहु-माध्यम परिवहन बिल प्रस्तुत करेंगी। कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित ऐसे बिलों को उर्वरक कंपनियों द्वारा व्यय हुए वास्तविक मालभाड़ा प्रभारों का पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा। वास्तविक लागत दावों की प्रामाणिकता की पूरी जिम्मेदारी दावे करने वाले पक्ष की होगी। ऐसी लागतों के संबंध में लोक सेवक के समक्ष मिथ्या घोषणा करने पर उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आपराधिक/सिविल कार्रवाई की जाएगी।

v. उर्वरकों की समतुल्य रेलवे मालभाड़ा राजसहायता की गणना करने के लिए कंपनियां गंतव्य स्थान में निकटतम रेक पॉइंट, गंतव्य जिले में समान लीड रेलवे दूरी से निकटतम रेक पॉइंट के साथ-साथ उक्त लीड दूरी के लिए वास्तविक रेलवे मालभाड़ा दरें प्रस्तुत करेंगी।

vi. उर्वरक विभाग का संचलन प्रभाग रेलवे मालभाड़ा प्रभारों के संबंध में उर्वरक कंपनियों द्वारा बिंदु (v) में प्रदत उक्त सूचना को प्रमाणित करेगा। संचलन प्रभाग भारतीय रेलवे की विभिन्न अधिसूचनाओं के जरिये

पब्लिक डोमेन में उपलब्ध अधिसूचित मालभाड़ा दरों के आधार पर वास्तविक रेलवे मालभाड़ा दरों को प्रमाणित करेगा। संचलन प्रभाग मालभाड़ा प्रचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस) का प्रयोग करके लीड दूरियों को प्रमाणित करेगा।

vii. उर्वरक राजसहायता प्रभाग उक्त बिंदु (iv) में यथाप्रदत बहु-माध्यम परिवहन के जरिये वास्तविक मालभाड़ा राजसहायता अथवा बिंदु (v) में यथाप्रदत समतुल्य रेलवे प्रभारों और बिंदु (vi) में संचलन प्रभाग द्वारा यथाप्रमाणित राशि में से जो भी कम हो उसका भुगतान करेगा।

3. कंपनियों को मालभाड़ा राजसहायता जारी करने के लिए उर्वरक विभाग के पास लंबित अथवा दिनांक 13.10.2016 और 29.03.2017 के इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापनों के अनुसरण में किए गए उर्वरक संचलन हेतु कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे दावों की भी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाएगी/उन पर विचार किया जाएगा।

4. इसे आईएफडी की डायरी सं. 3/एफ दिनांक 27.05.2019 के तहत सहमति प्राप्त है।

17/6/2019

(विनय कुमार पाण्डेय)
निदेशक
दूरभाष: 23389839

सेवा में

1. सचिव, पोतपरिवहन, परिवहन भवन, नई दिल्ली
2. संयुक्त सचिव (आईएनएम), डीएसी, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. संयुक्त सचिव (पीएफ-II), व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. कार्यकारी निदेशक, एफआईसीसी, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. मुख्य लेखा नियंत्रक, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली
6. निदेशक (उर्वरक), उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. निदेशक (लेखा), उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
8. महानिदेशक, भारतीय उर्वरक संघ, नई दिल्ली
9. सभी पीएंडके उर्वरक विनिर्माता और आयातक
10. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि निम्नलिखित को:-

1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/सभी कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव (कृषि)
2. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के आयुक्त/निदेशक, आयुक्तालय/निदेशालय, कृषि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी:-

मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) के निजी सचिव, राज्य मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) के निजी सचिव), सचिव (उर्वरक) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव)/अपर सचिव एवं वितीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (डीपी)/संयुक्त सचिव (पीएस)/संयुक्त सचिव (जीएस)/आर्थिक सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अनुभाग अधिकारी (आईटी)।